

कोविड-19  
अतिआवश्यक  
ई-मेल

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग


क्रमांक एफ 17( )खा.वि./न्याय/कोविड-19/2021

दिनांक 26.04.2021

समस्त,  
जिला कलक्टर,  
राजस्थान।

**विषय :-** जिलों में प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक के रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के निरन्तर बढ़ते प्रकोप के कारण आवश्यक वस्तुओं के साम्यिक वितरण और कीमतों को विनियमित करने और उनके दुरुपयोग के निवारण के लिए लोकहित में आवश्यक वस्तु अधिनियम और सपडित आदेशों का प्रवर्तन किया जाना है। अतः जिले में जिन स्थानों पर प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक के पद रिक्त हैं, वहां पर प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक के पदस्थापन तक संबंधित तहसीलदार/नायबतहसीलदार को इन पदों का उनके क्षेत्राधिकार में दिनांक 30.06.2021 तक आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कार्य भार दिए जाने का अधिकार जिला कलक्टर को दिया जाता है।

  
(जवीन जैन)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है। :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राज।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राज।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राज।
5. निजी सहायक, उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, खाद्य विभाग, राज।
6. जिला रसद अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
7. विभागीय प्रोगामर समस्त को ई-मेल भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रिका।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त